P001

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका सख्या 7809/2018 श्री सतीश चन्द जैन बनाम सरकार व अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2018 द्वारा आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन याचिका सख्या 7283/14 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री जैन द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिणामिक लाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री जैन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष्य में गहन अध्ययन एवम अभिलेखीय परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे–जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे है। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकि याचिकार्थी को आदेश कमांक शिविरा/मा/संस्था/बी–I/45001/पीएससी /2013/63 दिनांक 09.01.2017 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई एवम याचिकार्थी ने दिनांक 13.01.2017 को कार्यग्रहण किया।

याचिकार्थी श्री सतीश चन्द जैन के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 मे नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिणामिक लाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार मे पारित निर्णय से कवर पाए जाने के कारण याचिकार्थी श्री सतीश चन्द जैन द्वारा की गई मांग वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिणामिक लाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगें।

अतः तदनुसार अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/कोके/बी–III /या0–7809/सतीश चन्द जैन/18/29 दिनांकः– 10.12.18

प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप--2) विभाग,राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) ।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक (मुख्यालय) ।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री सतीश चन्द जैन, प्रधानाध्यापक रामावि खारीनाडी, पटोदी, बाडेमर (रजिस्टर्ड)
11. निजी पजिका/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)